

**न्यायालय:अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्र.-911 / 2013

संस्थित दिनांक-11.10.2013

फाईलिंग क्र.234503000302013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-कैलाश पिता हरिलाल पन्दे, उम्र-25 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम सुकतरा, थाना-बिरसा, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

2-राजेन्द्र पन्दे पिता संतराम पन्दे, उम्र-27 वर्ष, जाति गोवारा,  
 निवासी-ग्राम सुकतरा, थाना-बिरसा, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-10 / 04 / 2017 को घोषित)**

**01-** आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-24.09.2013 को सुबह 8:00 बजे, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सुकतरा प्लान्टेशन कक्ष क्रमांक-1641 बीट सायल परिक्षेत्र पूर्व बैहर में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी नदीम हुसैन बीटगार्ड सायल मलाजखण्ड की अभिरक्षा से वन विभाग के 11 नग कांकीट सीमेन्ट के पोल, 12, 13 मीटर फेन्सिंग तार जाली वाली को अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

**02-** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नदीम हुसैन ने दिनांक-27.09.2013 को थाना बिरसा आकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मण्डई वृत्त में बीटगार्ड सायल के पद पर पदस्थ है। उसके कार्यक्षेत्र में कक्ष क्रमांक-1641 का बांस प्लांटेशन है, जिसके आस-पास सुरक्षा की

दृष्टि से कांक्रिट के खम्बे एवं लोहे के तार से फेंसिंग किया गया है। दिनांक-24.09.2013 को उसने बीट भ्रमण के दौरान प्लांटेशन चैक किया तो 11 पोल एवं लोहे के लगभग 13 मीटर तार चोरी कर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 6,000/-रूपये थी। मुखबिर द्वारा पता किये जाने पर आरोपी कैलाश पिता हीरलाल व राजेन्द्र पिता संतराम पन्दे, निवासी-ग्राम सुकतरा के उक्त तार व पोल पाए गए। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-127/13, अंतर्गत धारा-379, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन अनुसार चोरी किया गया सामान जप्त कर कार्यवाही की गई और अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर, फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** आरोपीगण के विरुद्ध धारा-379/34 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द. प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

**04-** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-24.09.2013 को सुबह 8:00 बजे, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सुकतरा प्लांटेशन कक्ष क्रमांक-1641 बीट सायल परिक्षेत्र पूर्व बैहर में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी नदीम हुसैन बीटगार्ड सायल मलाजखण्ड की अभिरक्षा से वन विभाग के 11 नग कांकीट सीमेन्ट के पोल, 12, 13 मीटर फैंसिंग तार जाली वाली को अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष:-**

**05-** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी नदीम हुसैन अ.सा.3 ने अपने

न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक-24.09.2013 को बीट गार्ड के पद पर सायल बीट परिक्षेत्र सामान्य पूर्व बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को बीट भ्रमण के दौरान उसने पाया कि कक्ष क्रमांक-1641 में लगे 11 नग पोल एवं फेंसिंग तार 12, 13 मीटर नहीं थे, जिसकी सूचना उसने डिप्टी रेंजर को दिया और आस-पास पता करने पर मुखबिर द्वारा उसे पता चला कि आरोपी कैलाश पन्दे ने अपनी बाड़ी के आस-पास चोरी किये गए 11 नग पोल एवं फेंसिंग तार रखा है। आरोपी से चोरी का सामान जप्त किया गया और परिक्षेत्र सहायक को सूचना दी गई। आरोपीगण से पूछताछ करने पर आरोपीगण ने अपराध किया जाना स्वीकार किया। परिक्षेत्र सहायक द्वारा निर्देशित किये जाने पर उसके द्वारा अपराधी और जप्त सामान को लेकर थाना बिरसा में लिखित आवेदन प्रदर्श पी-6 दिया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। आवेदन के आधार पर प्रदर्श पी-7 की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने मौकानक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से चोरी किया गया सामान जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 बनाये गए थे, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे।

**06-** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी हलूसिंह अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक-24.09.2013 को वन चौकी मण्डई परिक्षेत्र पूर्व सामान्य बैहर में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ था। घटना उक्त दिनांक की दोपहर की है। उसे वनरक्षक नदीम हुसैन ने बताया था कि कक्ष क्रमांक-1641 में लगे फेंसिंग तार साढ़े बारह मीटर एवं 11 नग सीमेन्ट के पोल चोरी हो गए हैं। उसने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में सूचना दिया था, तब अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि आरोपीगण से सामान जप्त कर पूछताछ करो। आरोपीगण से सामान जप्त किया गया और आरोपीगण द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। उसके द्वारा शासकीय वाहन से चोरी गए सामान वन चौकी मण्डई लाया गया। उसने दिनांक-26.09.

2013 को थाना बिरसा में आरोपीगण को ले जाकर संपत्ति जप्त कराई थी। किस आरोपी से कितना माल जप्त किया गया था, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे और आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 27.09.13 को आरोपी कैलाश कुमार पन्दे से 11 नग सीमेण्ट के खम्बे जिस पर काले रंग से 1661 लिखा हुआ है तथा आरोपी राजेन्द्र पन्दे से 13 मी0 फेंसिंग तार जाली वाली पुलिस ने उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तथा 02 बनाया था एवं आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 तथा 04 बनाया था जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**07—** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अख्तर खान अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-27.09.2013 को मण्डई बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह रेंजर के कहने पर नदीम हुसैन के साथ आरोपीगण और जप्तशुदा संपत्ति खंबे एवं फेंसिंग तार को लेकर थाना बिरसा गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे।

**08—** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी किरण बाहेश्वर अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-27.09.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को नदीम हुसैन के लिखित आवेदन के आधार पर अपराध क्रमांक-127/13, अंतर्गत धारा-379/34 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

**09—** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी राजेशधर अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-27.09.2013 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-127/13, अंतर्गत धारा-379, 34 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने नदीम की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिसे बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक

को ही उसने प्रार्थी नदीम, साक्षी होलूसिंह के कथन तथा दिनांक-30.09.2013 को साक्षी तुलसीराम, अखतरखान, लखन, रसको जाफरी के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक-27.09.2013 को उसने आरोपी कैलाश पन्दे का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-9 लिया था, जिसमें उसने बताया था कि दिनांक-23.09.2013 की सुबह 5:00 बजे कूप क्रमांक-1641 की सुरक्षा हेतु लगी फेंसिंग तार लगभग 13 मीटर और सीमेन्ट कांक्रिट के लगे पोल राजेन्द्र के साथ चोरी कर अपने घर ले गए थे। आरोपी से 11 नग पोल जप्त कर बीट गार्ड नदीम हुसैन द्वारा वाहन क्रमांक-एम.पी.02/ए.बी-2840 से लाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को आरोपी कैलाश पन्दे से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 अनुसार 11 नग सीमेंट के खम्बे जप्त किये गए थे, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

**10-** राजेशधर अ.सा.6 का कथन है कि उक्त दिनांक को ही आरोपी राजेन्द्र को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष उसके प्रदर्श पी-10 का मेमोरेण्डम कथन लिये थे, जिसमें उसने बताया था कि उसने कैलाश पन्दे के साथ मिलकर दिनांक-23.09.2013 को सुबह बांस कूप कक्ष क्रमांक-1641 में लगी सुरक्षार्थ लगी फेंसिंग तार 13 मीटर व सीमेंट, कांक्रिट के बने पोल अपने घर पर रखा था, जिसे बीट गार्ड नदीम हुसैन द्वारा शासकीय वाहन क्रमांक-एम.पी.02/ए.बी-2840 से थाना बिरसा लाया गया था का कथन दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने आरोपी राजेन्द्र से 13 मीटर फेंसिंग तार जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 अनुसार जप्त किये थे, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त कार्यवाही उसके द्वारा साक्षी नदीम हुसैन एवं होलूसिंह के समक्ष की गई थी तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही की गई थी, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

**11-** रवनूसिंह अ0सा08 का कथन है कि पुलिस ने उसके समक्ष कैलाश पन्दे और राजेश पन्दे से चोरी के संबंध में पूछताछ की थी। जिसमें आरोपीगण ने कांक्रिट व सीमेन्ट के पोल चोरी करने की बात अपने मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.09 व 10 में स्वीकार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।



प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कथन है कि मेमोरेण्डम प्र.पी.09 व 10 के संबंध में उसके समक्ष आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की थी तथा उसने मात्र हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार साक्षी के उक्त विरोधाभासी कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता तथा उक्त साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती।

**12—** परिवारी नदीम हुसैन अ0सा03 के कथनों के अवलोकन से दर्शित है कि घटना दिनांक 24.09.13 की सुबह की है, तत्पश्चात दिनांक 27.09.13 को थाना बिरसा में घटना की सूचना दी गयी। साक्षी के अनुसार उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली की अभियुक्त कैलाश पन्दे की बाड़ी के आसपास चोरी किये गये 11 नग पोल एवं फैंसिंग तार रखे हुए हैं जिसे जप्त कर उसने वन परिक्षेत्र सहायक को सूचना दी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में कथन किया है कि आरोपी कैलाश घटना के समय तथा उसके पूर्व से उसके सायल बीट में सुरक्षा श्रमिक का कार्य करता था। वन विभाग द्वारा उनके बीट के अंतर्गत लगने वाले फैंसिंग तार व पोल बाहर से खरीदने के बाद आरोपी चौकीदार के घर पर सुरक्षा के लिहाज से रखते थे और अभी भी आरोपी के घर में बहुत से फैंसिंग तार व पोल रखा हुआ है। घटना के पूर्व व घटना के समय आरोपी बीट सुरक्षा की देखरेख करता था। यदि आरोपी क्रमांक 01 द्वारा जप्तशुदा सामान घटनास्थल से गिरे, बिखरे होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से घर में जहां वन विभाग का और भी सामान रखा था वहां लाकर रखा हो तो वह नहीं बता सकता।

**13—** होलूसिंह अ0सा0-1 ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि आरोपी कैलाश पन्दे घटना के समय प्रार्थी वन रक्षक के बीट के अंदर वन चौकीदार के पद पर कार्यरत था। यदि घटना के समय प्रार्थी वनरक्षक हुसैन अथवा उसके सर्किल अधिकारी द्वारा बाहर से जाली व सीमेण्ट के खम्बे वन क्षेत्र में लगाने के लिए लाये गये हों और आरोपी कैलाश चौकीदार के घर सामान रखा गया हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। उनके विभाग में ऐसा होता है कि कोई शासकीय कार्य में लगने वाला मटेरियल यदि बच जाता है तो पदस्थ चौकीदार के घर में हिफाजत के लिए रखा जाता है। यदि उक्त जप्तशुदा सामान

हिफाजत के रूप में बीट गार्ड द्वारा आरोपी चौकीदार के घर रखा गया हो तो वह नहीं बता सकता। यह सही है कि घटना के समय वन विभाग द्वारा बहुत सारे सीमेण्ट के पोल व तार आरोपी चौकीदार के घर पर रखे गये थे। उक्त दोनों साक्षियों नदीम हुसैन अ0सा0-3 तथा होलूसिंह अ0सा0-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण को चोरी करते या सामान ले जाते नहीं देखा है।

**14—** अब यदि जप्ती पर गौर किया जाये तो नदीम हुसैन अ0सा0-3 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह कथन किया है कि उसने आरोपीगण की बाड़ी से उक्त सामान जप्त किया था। उक्त सामान गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तिनामा बनाया था। पुलिस द्वारा आरोपीगण के घर से उक्त जप्तशुदा 11 नग पोल एवं 13मी. फेंसिंग तार की कोई जप्ति नहीं बनायी गयी थी। उसने आरोपी से जप्तशुदा सामान की जप्ति कार्यवाही में पुलिस को पेश नहीं किया था। उसके द्वारा जप्ति की कार्यवाही को अपने उच्चे अधिकारी को देने के कारण थाने में पेश नहीं किया गया। जबकि होलूसिंह अ0सा0-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना की जानकारी मिलने पर उसके और वनरक्षक हुसैन के द्वारा आरोपीगण के घर से जो जप्त सामान लाना बताया था उसकी उन्होंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की और न ही मौके पर आस पड़ोस के लोगों का बयान लिया। बीट गार्ड द्वारा यदि पूर्व से रखे गये सामान में से चौकी में लाया गया हो तो वह नहीं बता सकता। कैलाश से राजेन्द्र का घर काफी दूरी पर है तथा उसे आरोपी राजेन्द्र के घर से सामान लाने का मौका नहीं आया। अख्तर खान अ0सा0-7 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में कथन किया है कि नदीम हुसैन द्वारा अपने वाहन में उक्त सामान लेकर थाने जाने के बाद वह उनसे थाना बिरसा में मिला था तथा नदीम हुसैन उसके सामने उक्त जप्तशुदा सामान उठाकर नहीं ले गया था। उक्त सामान नदीम हुसैन ने किस स्थान से उठाया अथवा जप्त किया वह नहीं बता सकता। उसने आरोपीगण कैलाश तथा राजेन्द्र के घर से सामान जप्त होते नहीं देखा है। घटना के अन्य साक्षी तुलसीराम अ0सा0-2 तथा लखन टेम्भरे अ0सा0-5 पक्षद्रोही रहे हैं। दोनों साक्षियों ने घटना के संबंध में जानकारी न होना व्यक्त कर आरोपीगण से किसी भी प्रकार की जप्ती होने से इंकार किया है।

साक्षीगण के उक्त कथनों से जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। क्योंकि पुलिस द्वारा थाना बिरसा में आरोपीगण से प्र.पी.01 तथा 02 की जप्ती दर्शित की गयी है जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.01 के अनुसार स्वयं परिवादी द्वारा आरोपीगण के साथ थाने में प्रस्तुत की गयी थी।

**15—** इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से प्रथम दृष्टया परिवादी के आधिपत्य की संपत्ति चोरी होना ही प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है क्योंकि परिवादी तथा अन्य साक्षी द्वारा स्वीकृत किया गया है कि घटना के पूर्व से आरोपी चौकीदार कैलाश पन्दे के घर पर वन विभाग के पोल व तार रखे जाते थे तथा वर्तमान में भी वन विभाग का सामान अभियुक्त कैलाश पन्दे के घर पर रखा हुआ है। अन्य अभियुक्त राजेन्द्र के संबंध में प्रकरण में कोई विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आरोपीगण से जप्ती ही प्रमाणित नहीं है तथा आरोपीगण को चोरी करते हुए किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। होलूसिंह अ0सा0-1 द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया गया है कि यदि प्रार्थी बीट गार्ड द्वारा घटना के बाद उक्त जप्तशुदा सामान ग्राम सुकतरा के मुन्ना टेम्भरे के घर से जप्त कर चौकी में ले जाकर रखा हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्ष्य की विवेचना से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। जिसके फलस्वरूप अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी की अभिरक्षा से वन विभाग के पोल तथा फैंसिंग तार को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतः अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा 379/34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

**16—** प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

**17—** प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-28.09.2013 से दिनांक-01.10.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।



18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 11 नग कांकिट सीमेन्ट के पोल तथा 12, 13 मीटर के फेंसिंग तार जाली कीमती लगभग 6,000/-रुपये थाना बिरसा में सुरक्षार्थ रखी गई है, जिसे विधिवत वन विभाग को वापस किया जावे। अपील होने की दशा में मानीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)